

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

129-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 1, 2019 (SRAVANA 10, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st August, 2019

No. 25-HLA of 2019/62/11832.— The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan (Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 25- HLA of 2019.

THE HARYANA GAUVANSH SANRAKSHAN AND GAUSAMVARDHAN (AMENDMENT) BILL, 2019

A

Bill

further to amend the Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan (Amendment) Act, 2019.

Short title.

- 2. In section 2 of the Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015 (hereinafter called the principal Act),-
 - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(a) "beef" means flesh of cow in any form including in sealed container;';
 - (ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "cow" means cow and its progeny (any economic or uneconomic) including bull, bullock, ox, heifer or calf whether disabled, diseased or barren;";

Amendment of section 2 of Haryana Act 20 of 2015.

- (iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(e) "department" means the Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana;
- (iv) in clause (n),-
 - (A) for the sign ".", existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and
 - (B) after clause (n), the following clause shall be added, namely:-
 - "Vehicle" means a conveyance used for transportation of people, livestock or goods, specially on land, such as two-wheeler, car, tractor trolley, lorry, any carrier or cart."

Amendment of section 16 of Haryana Act 20 of 2015.

- 3. In sub-section (1) of section 16 of the principal Act,-
 - (i) in clause (a), for the word "cows", the words "cow or beef" shall be substituted;
 - (ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(b) seize cow or beef in respect of which he suspects that any provision of this Act has been, is being or is about to be contravened, along with the vehicle in which such cow or beef is found, and thereafter take all measures necessary for securing the production of the cow or beef so seized, in a court and for the safe custody pending such production;";
 - (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(c) enter and search any premises used or intended to be used for the slaughter of cow and seize cow or beef and collect evidence from the spot including instruments and documents used or intended to be used regarding activities related to slaughter and export of cow or beef."

Amendment of section 17 of Haryana Act 20 of 2015.

- 4. In section 17 of the principal Act,-
 - (i) in sub-section (1), for the word "confiscated", the word "seized" shall be substituted;
 - (ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(2) Where any vehicle referred to in sub-section (1) is seized in connection with the commission of any offence punishable under this Act, a report about the same, without unreasonable delay, shall be made by the person seizing it to the competent authority and whether or not a prosecution is instituted for commission of such offence, the competent authority, having jurisdiction over the area where the said vehicle was seized, may, if satisfied that the said vehicle was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said vehicle:

Provided that before ordering confiscation of the said vehicle, a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said vehicle.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The proposal to amend "The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015" has been made by the Director General Animal Husbandry on the initiative of Haryana Gau Seva Aayog due to the fact that Criminals booked under this act were taking the advantage of flexibility/ambiguity in the provisions mentioned under this Act and easily got their vehicles released on superdari. It is also worthwhile to state here that because of flexible provisions, criminals booked under this Act were able to secure their acquittals form the Court. Therefore Section 16 of "The Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015" is required to be amended by changing the word "cow" to "cow or beef" thus adding the word 'beef' which was missing in all places in section 16 of the Act. Furthermore it is intended to substitute the word 'Confiscated' with 'Seized' under section 17(1) & (2) in this Act, since technically as per present provision U/S 17(1) & (2), Sub-inspector could not 'Confiscate' the vehicle and could only 'Seize' it, as the power to 'Confiscate' was already vested with competent authority i.e. Sub Divisional Magistrate. Therefore to avoid such confusion and irregularity in investigation, present amendment is required by separating the 'Seizing' action from the 'Confiscation' action.

OM PARKASH DHANKAR, Animal Husbandry & Dairying Minister, Haryana.

Chandigarh: The 1st August, 2019.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 25-एच०एल०ए०

हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2019 हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन अधिनियम, 2015, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

2015 का हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 2 का संशोधन।

- 2. हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन अधिनियम, 2015 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
 - (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(क) ''गोमांस'' से अभिप्राय है, किसी भी रूप में गाय का मांस और इसमें मुहरबन्द डिब्बा में रखा गया गोमांस भी शामिल है ;';
 - (ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(ग) ''गाय'' से अभिप्राय है, गाय तथा इसकी संतान (किसी तरह लाभकर या अलाभकर हो) और इसमें शामिल हैं सांड, बैल, वृषभ, बिछया या बछड़ा चाहे निःशक्त, बीमार अथवा बांझ हो :':
 - (iii) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(ङ) ''विभाग'' से अभिप्राय है, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा;';
 - (iv) खण्ड (ਫ) में,-
 - (क) अन्त में, विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा
 - (ख) खण्ड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--
 - '(ण) ''वाहन'' से अभिप्राय है, विशेष रूप से भूमि पर जनसाधारण, पशुधन या माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त कोई वाहन, जैसे दो पहिया, कार, ट्रैक्टर, ट्राली, लॉरी, कोई कैरियर या ठेला।'।

2015 का हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 16 का संशोधन।

- 3. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में,-
 - (i) खण्ड (क) में, ''गऊओं'' शब्द के स्थान पर, ''गाय या गोमांस'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ख) ऐसी गाय या गोमांस का, जिसके संबंध में उसे शंका है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है, ऐसे वाहन सिहत जिसमें ऐसी गाय या गोमांस पाया जाता है, अभिग्रहण कर सकता है, और उसके बाद इस प्रकार अभिग्रहण की गई गाय या गोमांस को न्यायालय में पेश करने को सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी पेशी के समय सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है;";
 - (iii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(ग) गाय के वध के लिए प्रयोग किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने के लिए आशियत किन्हीं पिरसरों में प्रवेश कर सकता है और छानबीन कर सकता है तथा गाय या गोमांस अभिग्रहण कर सकता है। गाय का वध करने तथा गाय या गोमांस का निर्यात करने से सम्बन्धित क्रियाकलापों के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने के लिए आशियत उपकरणों तथा दस्तावेजों सिहत मौके से साक्ष्य संग्रहण कर सकता है।"।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-
 - (i) उप–धारा (1) में, ''जब्त'' शब्द के स्थान पर, ''अभिग्रहण'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने के सम्बन्ध में उप—धारा (1) में निर्दिष्ट कोई वाहन अभिग्रहित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट, इसे अभिग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुचित देरी किए बिना सक्षम प्राधिकारी को की जाएगी और चाहे ऐसे अपराध को करने के लिए अभियोजन संस्थित किया गया है अथवा नहीं, क्षेत्र, जहां उक्त वाहन अभिग्रहित किया गया था, की अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी, यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिए उक्त वाहन प्रयोग किया गया था, तो वह उक्त वाहन को जब्त करने के आदेश कर सकता है:

परन्तु उक्त वाहन को जब्त करने का आदेश करने से पूर्व, उक्त वाहन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।"। 2015 का हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 17 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

"हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन अधिनियम, 2015" में महानिदेशक, पशुपालन एवं डेंयरिंग विभाग, हरियाणा के माध्यम से हरियाणा गौ सेवा आयोग की अनुशंसा पर संशोधन हेतु प्रस्ताव है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराधी इस अधिनियम के लचीलेपन का फायदा ले रहे हैं और जब्त किये गये अपने वाहन आसानी से सुर्पदारी पर मुक्त करवा रहे हैं। यहाँ यह बताना भी उचित होगा कि लचीले प्रावधानों की वजह से इस अधिनियम के तहत दर्ज किए गये अपराधी न्यायालय से बरी होते जा रहे हैं। इसलिये हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन अधिनियम की धारा 16 में ''गाय'' शब्द को बदलकर ''गाय या गौमांस'' शब्द जोड़कर संशोधित करना अनिवार्य है जोिक गौमास शब्द अधिनियम की धारा 16 में सभी जगह लुप्त है। इसलिए हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 2015 में संशोधन कर शब्द ''अधिग्रहण'' से बदलकर ''जब्त'' करने की आवश्यकता है, क्योंकि तकनीकी रूप से धारा 17(1)व (2) में निहित वर्तमान प्रावधान के तहत उप—िनरीक्षक वाहन का अधिग्रहण की शक्ति सक्षम प्राधिकारी में निहित थी। जोिक उपखण्ड मजिस्ट्रेट है। जांच की अनियमिताओं एवं विभ्रान्ति से बचने तथा जब्त कार्यवाही को अधिग्रहण कार्यवाही से अलगत करने हेतू यह संशोधन अनिवार्य है।

| | ओम प्रकाश धनखड़, पशुपालन एवं डेयरी विकास मन्त्री, हरियाणा। |
|-------------------------------------|---|
| | |
| चण्डीगढ़ : दिनांक 1 अगस्त, 2019. | आर० के० नांदल, सचिव। |

57241—H.V.S.—H.G.P., Chd.